न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 24/2019

प्रार्थीया
सनगी देवी पुत्री श्री आसाराम पत्नि थानारामजी जाति मेघवाल आयु 46 वर्ष निवासी बरलुट हाल मेघवालों का वास जावाल तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही
2– लसुदेवी पत्नि वालारामजी जाति मेघववाल आयु व्यस्क निवासी हरजीरोड नई आबादी जावाल तहसील व जिला सिरोही

1– प्रार्थीया की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश

दिनांक –12–2019

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तहसीलदार सिरोही तथा अप्रार्थी संख्या 2 लसुदेवी का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि 14–6–2019 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि मोजा ग्राम बरलुट पटवार हल्का बरलुट तहसील व जिला सिरोही मे जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अनुसार खाता संख्या नया 652 खाता संख्या पुराना 543 खसरा संख्या 343 क्षैत्रफल 0.3200 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 का इन्द्राज किया हुआ है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार सनगारी पुत्री आसीया दर्ज है जो आसीया की मृत्यु के बाद उनके वारिसान मे नामान्तकरण दर्ज के समय राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश खातेदार सनगी पुत्री आसाराम कि स्थान पर गलत नाम सनगारी पुत्री आसीया दर्ज कर दिया है। वर्णित आराजी पुश्तैनी हैजिसमे प्रार्थीया के नाम बतौर वारिसदार नामान्तकरण दर्ज के समय उपरोक्त वर्णित आराजी मे खातेदार सनगी देवी के स्थान पर सनगारी का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थीया के समस्त दस्तावेज सनगीदेवी पुत्री आसाराम पत्नि थानारामजी के नाम से बने हुए है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही व भूल से राजस्व रेकर्ड मे सनगीदेवी पुत्री आसाराम के स्थान पर सनगारी पुत्री आसीया का गलत इन्द्राज कर देने से प्रार्थीया को अकारण परेशानी का सामना करना पड रहा है। उक्त त्रुटि को सुधारने हेतु कई बार प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को निवेदन किये गये एवं हल्का पटवारी से भी निवेदन किया गया लेकिन बावजूद निवेदन आज दिन तक अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राजसव रेकर्ड मे उक्त त्रुटि को सुधारकर सही इन्द्राज सनगारी के सीान पर सनगीदेवी नही करने स यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बरलुट पटवार हल्का बरलुट तहसील व जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 652 खसरा संख्या 343 रकबा 0.3200 हैक्टेयर मे खातेदार सनगारी पुत्री आसाराम के स्थान पर सनगी देवी पुत्री आसाराम दर्ज करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को निर्देश दिलाना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे जमाबंदी संवत 2071–2074 ,आधार कार्ड,पहचान कार्ड, राशनकार्ड की प्रतियों का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयों सहमत होने से न्यायालय मे दिनांक14–6–2019 दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 2–7–2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे पेश होने से शामिल मिसल किये गये । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 2–12–2019 को न्यायालय मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बावजूद नोटिस तामिल के सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत जवाब पेश नही करने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब बंद किया गया।

इस न्यायालय मे दिनांक 2–12–2019 को विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तहसीलदार सिरोही द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । अंतिम बहस मे अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने यह कथन किया कि प्रार्थीया सनगारी पुत्री आसाराम के स्थान पर सनगी देवी पुत्री आसाराम तथा अप्रार्थी संख्या 2 लसुदेवी पत्नि वालारामजी पुत्री आसाराम राज्य सरकार के निर्देशों की पालना मे सम्मान जनक नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना बताया है।

हमने विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे जमाबंदी संवत 2071–2074 ,आधार कार्ड,पहचान कार्ड, राशनकार्ड की प्रतियों का गहनापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । उक्त सभी के आधार पर प्रार्थीया स्वंय के नाम की त्रुटि एवं प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता का नाम सम्मानजनक नाम आसीया के स्थान पर आसाराम का सही नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थी के उक्त नाम की त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा भविष्य मे प्रार्थीगण मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा भविष्य मे उक्त मामले मे कानूनी उलझने पैदा हो सकती है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि मौजा मौजा बरलुट तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 652 पुराना 543खसरा संख्या 343 रकबा 0.3200 हैक्टेयर मे खातेदार सनगारी पुत्री आसीया के स्थान पर सनगी देवी पुत्री आसाराम तथा लसु पुत्री आसीया के स्थान पर लसु पुत्री आसाराम मेगवाल सम्मान जनक नाम राज्य सरकार के निर्देशों की पालना मे राजस्व रेकर्ड मे सही नाम दुरूस्त दर्ज कर वर्तमान जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट एक सप्ताह मे इस न्यायालय को भिजवाने की व्यवस्था करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हंसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही

(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.09 16:34:18 IST
Reason: SelfAttested